न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/243

लोकेश गौतम पुत्र पूरण जाति ब्राह्म्ण निवासी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– अपीलांटगण

बनाम

1. पूरण पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण
2. हीरेन्द्र पुत्र पूरण जाति ब्राह्म्ण
3. यशीश पुत्र योगेन्द्र जाति ब्राह्म्ण
4. शीला बाई पत्नी योगेन्द्र जाति ब्राह्म्ण
5. हर्षिता पुत्री योगेन्द्र जाति ब्राह्म्ण
   निवासीगण कैथून, कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री घनश्याम, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2 श्री गोपाल दत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 1, 2 की ओर से।
3. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पो. 3 लगायत 5 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 10.11.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 17/2025 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो ग्राम कैथून में निवास करता चला आ रहा है। वादी के प्रतिवादी क्रम 1 पिता प्रतिवादी क्रम 2 भाई व प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 मृतक भाई योगेन्द्र के वारिसान है। ग्राम अरन्या पटवार हल्का गोदलिया हेडी तहसील लाडपुरा में वादी के पिता प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खसरा नम्बर 322 रकबा 0.09

हैक्टर खसरा नम्बर 335 रकबा 1.39 कुल 2 किता की 1.48 हैक्टर आराजी स्थित है जो पीढी दर पीढी चली आरही है। ग्राम अरन्या स्थित आराजी संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है जिसमे वादी व प्रतिवादीक्रम 2 लगायत 5का जन्म से हक व अधिकार निहित है। तथा वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी प्रतिवादी क्रम की सेवा सुश्रषा करता चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 के प्रभाव में आकर ग्राम अरनियां स्थित आराजी खसरा नम्बर 335 रकबा 1.39 हैक्टर को प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 कोदेने में आमादा है इस बाबत वादी व अन्य रिश्तेदारों द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 को काफी समझाने का प्रयास किया और वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से कहा कि उक्त आराजी संयुक्त परिवार की कोपार्सनरी आराजी है जिसमे वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है, वादी मौके पर काबिज है, किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 वादी व रिश्तेदारो की कोई बात सुनने समझने के लिये तैयार नहीं है। इस कारण वादी के लिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। ग्राम अरनियां स्थित आराजी संयुक्त परिवार की कोपार्सनरी आराजी है जिसमें वादी मौके पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है. प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा दर्ज नाम के आधार पर प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 के नाम करदिया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्तिकिसी भी प्रकार से नही हो सकेगी। इस कारण वादी के लिये यह वाद प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। उक्त आराजी के संबंध में वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 19. 02.25 को वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से दर्ज नाम के आधार पर खुर्द बुर्द नही करने व मौके पर काबिज अनुसार वादी के नाम दर्ज करने के लिये कहा किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादी को ग्राम अरन्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजी खसरा नम्बर 335 रकबा 1.39 हैक्टर का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी क्रम 1 के साथ राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती कर नाम दुरूस्त किया जावे तथा वादी का हिस्सा पृथक कर पृथक राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जावे व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ओर न ही अपने किन्ही प्रतिनिधियो से ही करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी को प्रतिवादीगण से मिल सके वह भी दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सख्या 4 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06. 2025 को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। निर्णय एवम डिक्री जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट का वाद घोषणा खातेदारी का है तथा उक्त वाद दिनांक 17.02.25 दानपत्र के संबंध में इन्सलेरी रिलीफ चाहने के बावजूद भी वादी का वाद खारिज कर दिया, जबकि दानपत्र के संबंध में आनुसंगिक अनुतोष चाहा गया है. मुख्य रूप से वादी का वाद सहदायिक कृषि आराजी से घोषणा खातेदारी का है जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है, किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोईध्यान नही दिया कि दानपत्र वादी के लिये शून्य है दानपत्र करने का रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त तथ्य तथ्य एवं विधि के प्रश्न है जो बाद साक्ष्य से ही सिद्ध हो सकेगी, जिस पर तनकी कायम कर निर्णय किया जाना चाहिये किन्तु फिर भी वादी का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि उक्त आराजी पैतृक आराजी है तथा अपने हिस्से से अधिक का दानपत्र करने का आं. कार प्राप्त नही है। इस कारण राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार होने के बावजूद भी दावा खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी तथ्य के यह मानलिया कि वादी का कब्जा नही है जबकि कब्जा साक्ष्य से तय हो सकेगा

जिसके सम्बन्ध में केवल मात्र दानपत्र देखा जाना है, प्रतिवादी की बचाव पक्ष को इस समय नहीं देखा जा सकता किन्तु फिर भी दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2025(1) पेज 29, आर.एल.डब्ल्यु. 2012(2) एच.सी. पेज 906, आर.बी.टी. 2010 एच.सी. पेज 507, आर.बी.टी. 2010 पेज 721 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री निरस्त किए जाने तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमायी जाने का निवेदन किया किया । साथ ही अन्य सहायता भी अपीलान्ट को प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए तथा मिथ्या कथन अंकित करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी अपीलांट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि खसरा संख्या 322 व 335 की कुल 1.48 हैक्टेयर में से खसरा सख्या 335 रकबा 1.39 हैक्टेयर को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ साथ खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी रेस्पोडन्ट संख्या 1 के खाते दर्ज नहीं है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने खाते दर्ज भूमि में से खसरा संख्या 335 की रकबा 1.39 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम जरिये पंजीकृत दानपत्र दिनांक 17.02.2025 से दान करके हस्तांतरित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। वादी अपीलांट दान की गई प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी भूमि में से खसरा संख्या 334 रकब 0.16 हैक्टेयर व खसरा संख्या 336 की रकबा 1.98 हैक्टेयर कुल 2.14 हैक्टेयर भूमि को दिनांक 28.11.2024 को रजिस्टर्ड दान–पत्र से भूमि वादी अपीलांट को दान कर दी जो वादी के खाते दर्ज हो चुकी है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी भूमि में से खसरा संख्या 334 रकबा 0.65 हैक्टेयर व खसरा सख्या 337 रकबा 2.90 हैक्टेयर कुल 3.55 हैक्टेयर भूमि को भी दिनांक 28.11.2024 को रजिस्टर्ड दान–पत्र से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को हस्तांतरित कर दिया है तथा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के खाते दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते दर्ज थी जिन्हें प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 को पंजीकृत दान–पत्र के द्वारा हस्तांतरित कर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 5 के खाते दर्ज हो चुकी है। उक्त तथ्यों की जानकारी वादी अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र में अंकित नहीं की गई है। वादी अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में निष्पादित किए गए पंजीकृत दान–पत्रों को निरस्त करवाये बिना वादी अपीलांट किसी प्रकार का वाद लाने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी से वादी अपीलांट का कोई सम्बंध नहीं है। वादी

अपीलांट का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा ना ही वादी अपीलांट द्वारा वाद उत्पन्न होने का कोई कारण अपने वादपत्र में उल्लेखित किया गया है। वाद कारण पैदा होने के अभाव में वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत खारिज किए जाने का आदेश विधि सम्मत रूप से पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होन से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपर्वूक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम अरन्या तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा संख्या 335 रकबा 1.39 का स्वयं को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किए जाने का अनुतोष चाहा है। साथ ही वादी अपीलांट द्वारा अपने हिस्से को पृथक किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने तथा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी अपीलांट का तर्क है कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी अपीलांट का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी का भाई तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 वादी के मृतक भाई योगेन्द्र के वारिसान है, खसरा सख्या 322 रकबा 0.09 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 335 रकबा 1.39 कुल किता 2 रकबा 1.48 हेक्टेयर आराजी वादी अपीलांट के पिता के खाते की भूमि है जो संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है तथा उक्त आराजी में वादी अपीलांट तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का जन्म से हक अधिकार निहित है। रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत खसरा संख्या 335 रकबा 1.39 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम जरिये पंजीकृत दान–पत्र दिनांक 17.02.225 से हस्तांतरित की जा चुकी है तथा उक्त दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत होकर

<u>अपील संख्या 2025/243</u>

<u>लोकेश गौतम बनाम पूरण, सरकार</u>

उक्त खसरा सख्या 335 रकबा 1.39 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में यह तर्क अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित किए गए प्रश्नगत खसरा संख्या 335 की भूमि के दान–पत्र को निरस्त करवाए बिना वादी अपीलांट को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है अतः वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2025 में पारित निष्कर्ष के कुछ अंश इस प्रकार है– किसी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहे जाने से स्वतः स्पष्ट है कि न तो वे वर्तमान में विवादित आराजी के खातेदार है और ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा है। खातेदारी व कब्जे के अभाव में वादी किस आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा की मांग कर सकते है अर्थात वादी स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हम अधीनस्थ न्यायालय में इस तर्क से सहमत है कि एक खातेदार काश्तकार ही धारा 188 आर.टी.ए. के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर सकता है। चूंकि वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर जन्म से हक अधिकार निहित होने का कथन किया है तथा इसी आधार पर घोषणा वाद प्रस्तुत किया गया है तथा अपने तथाकथित हिस्से को पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने तथा अपने तथाकथित हिस्से में कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया हैं। साथ ही वादी अपीलांट द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 4 में विवादित आराजी पर स्वंय का कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है। पत्रावली में विवादित आराजी पर अपीलांट के कब्जे काश्त को लेकर कोई विपरीत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में वादी अपीलांट के कब्जे काश्त का प्रश्न साक्ष्योपरांत ही तय किया जा सकता था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादी द्वारा खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहे जाने के आधार तथा वर्तमान में वादी के खातेदार नहीं होने के आधार पर वादी अपीलांट का कब्जा नहीं होना स्वीकार किए जाने का निष्कर्ष अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में केवल खातेदारी घोषणा का वाद पेश किए जाने तथा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज नहीं होने मात्र से वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं होने का तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वयं के क्षेत्राधिकार का नहीं होना बताकर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आधार पर वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है। हमारे मत में वादी अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष धारा 88, 89, 53, 188, 92ए के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को अपने क्षेत्राधिकार का नहीं होना बताकर वाद खारिज किए जाने का आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 में अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। चूंकि वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद में वादग्रस्त भूमि को स्वयं

सतेशा नाटे पूर्ण है।

की पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा है, हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में वादी अपीलांट के हक अधिकारो को लेकर विधि के गंभीर एवं महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्निहित है। अतः वादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की जाकर तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 17/2025 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम करें। कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 19.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा